न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–77/2017

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम चन्द्रमोहन साह उर्फ पिंटू साह

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14.03.2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 781/सी0आर0, (विविध) दिनांक 09.05.2017 से बहेड़ा थाना कांड संख्या–318/16 दिनांक 13.11.2016 में जब्त मोटर साइकिल पैशनप्रो नं0–**BR7K-4024** के अवैध शराब के परिवहन एवं चौर्य व्यापार में संलिप्त पाये जाने के कारण बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित)–2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी द्वारा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 13.11.2016 को प्राप्त सूचना के आधार पर आशापुर चौक में अवैध शराब कारोबारी रंजीत कमती, पिता–स्व0 श्याम कमती, ग्राम–रघुनन्दनपुर, बेनीपुर, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा के पास से 180*ml* का 04 (चार) बोतल रॉयल स्टैग विदेशी शराब, 750*ml* का 03 (तीन) बोतल रॉयल स्टैग विदेशी शराब एवं गोल्डेन ए0पू0एम्स 180*ml* का 04 (चार) बोतल एवं शराब बिक्री कर 8200 रुपये एवं अवैध शराब के परिवहन एवं चौर्य व्यापार में संलिप्त पैशनप्रो मोटर साइकिल नं0–**BR7K-4024** को विधिवत् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 11 बोतल में 3.69 लीटर अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार किया गया है, जो जब्ती सूची प्राथमिकी से भी स्पष्ट है। विपक्षी का यह कृत्य बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की धारा 30 एवं 32 का सरासर उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी वाहन को उक्त दर्ज कांड सं0–318/16 से काई सरोकार नहीं है। इनका यह भी कथन है कि मुदालह चन्द्रमोहन साह वाहन स्वामी का भाई है, जिनके पास मोटर साइकिल से रणजीत कमती के दुकान से दवा लेने हेतु जा रहा था कि उक्त मोटर साइकिल पर रंजीत कमती का बैग, जिसमें शराब बरामद हुई, चन्द्रमोहन साह की मोटर साइकिल से बरामद नहीं हुई। वाहन स्वामी कानून का पूर्णरूपेण अनुपालन किया करता है। वाहन स्वामी वाहन से संबंधित सभी कागजात समर्पित करने हेतु तैयार है एवं न्यायालय के निदेशानुसार बंधपत्र भी समर्पित करने हेतु तैयार है। विज्ञ अधिवक्ता समर्पित करण	

पृच्छा को स्वीकार करते हुए जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध करते हैं।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधरित तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन एवं चौर्य व्यापार में किया गया है। विपक्षी ने अपने कारण पृच्छा में इस तथ्य से इनकार नहीं किया है। उल्लिखित अधिनियम की धारा 30 एवं 32 के तहत किसी भी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

अतएव बिहार उत्पाद अधिनियम यथा–संशोधित धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56 (घ) के तहत बहेड़ा थाना कांड संख्या–318/18 दिनांक 13.11.2016 में में जब्त पैश्नप्रो मोटर साइकिल नं0– **BR7K-4024** को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

19/03/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।